ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभाव का एक विश्लेषण : रीवा के विशेष सन्दर्भ में

1 गोकरण प्रसाद कुशवाहा
1 शोधार्थी अ0प्र0सिंह वि0वि0 रीवा (म0प्र0)

Received: 08 May 2019, Accepted: 11 May 2019 ; Published on line: 15 May 2019

Abstract

भारतीय संविधान के अर्न्तगत मौलिक अधिकार दिये गये है जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है अर्थात् किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगो के साथ साझा करने का अधिकार है। लेकिन कई विचारको का मानना है कि सूचना पारदर्षिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नही रह जाता हैं।

सूचना का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिको के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना का अधिकार को लागू हुए 15 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। परन्तु हमारे देश के मध्यप्रदेश के रीवा जिले की आबादी का एक बडा हिस्सा अभी भी इस ऐतिहासिक कानून से अनजान है, इस अधिकार के बारे में शोध क्षेत्र के अधिकतर ऐसे व्यक्ति है जिन्होने इसके बारे में केवल समाचार पत्र, किताबो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है। परन्तु आवश्यकता होते हुए भी इन लोगो ने सूचना प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नही किया है।

जिन्होंने इसके लिए आवेदन करके सूचना प्राप्त करने की कोशिश की है, परन्तु प्राधिकारियो से कोई प्रतिक्रिया न मिलने या असंतोष जनक जवाब मिलने के कारण आवेदन करना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी है जो इस कानून का उपयोग इस हद तक करते है कि आर0टी0आई0 अधिनियम के दुरूपयोग के रूप मे देखा जाता है।

Keywords:– आर0टी0आई0, मुख्य सूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी।

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वास्तव में एक ऐतिहासिक विधान है यह एक ऐसा व्यापक कानून है जो सभी सरकारी व सूचना का अधिकार अधिनियम में आने वाले उन अन्य उपक्रमो का जो इसके अर्न्तगत आते है उन सभी नागरिको को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम में बहुत से लोगो के मन में आशा के अंकुर उगाये है और इसे सही ढंग से काम मे लाना ही अब आगे का कार्य है। इसके प्रचलन से कार्य के सम्पादन में पारदर्शिता बढेगी और भ्रष्टाचार व अनियमितता मे कमी आयेगी। रीवा जिले मे वर्ष 2019–20 में इस अधिकार अधिनियम के 279 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमे से 269 आवेदनो का निस्तारण किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि रीवा जिले में सूचना का अधिकार कानून व्यापक स्तर पर काम कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र (Study Area):– भारत के मध्य में स्थित रीवा उन 250 नगरो मे एक है जहां की आवादी 2 लाख से अधिक है। रीवा महामृत्युंजय की नगरी है रीवा की धरती वीरप्रसूता हैं। रीवा बघेलखण्ड का प्राचीन काल से प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। यहां की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक सांस्कृतिक विरासतें एवं परम्परा है।

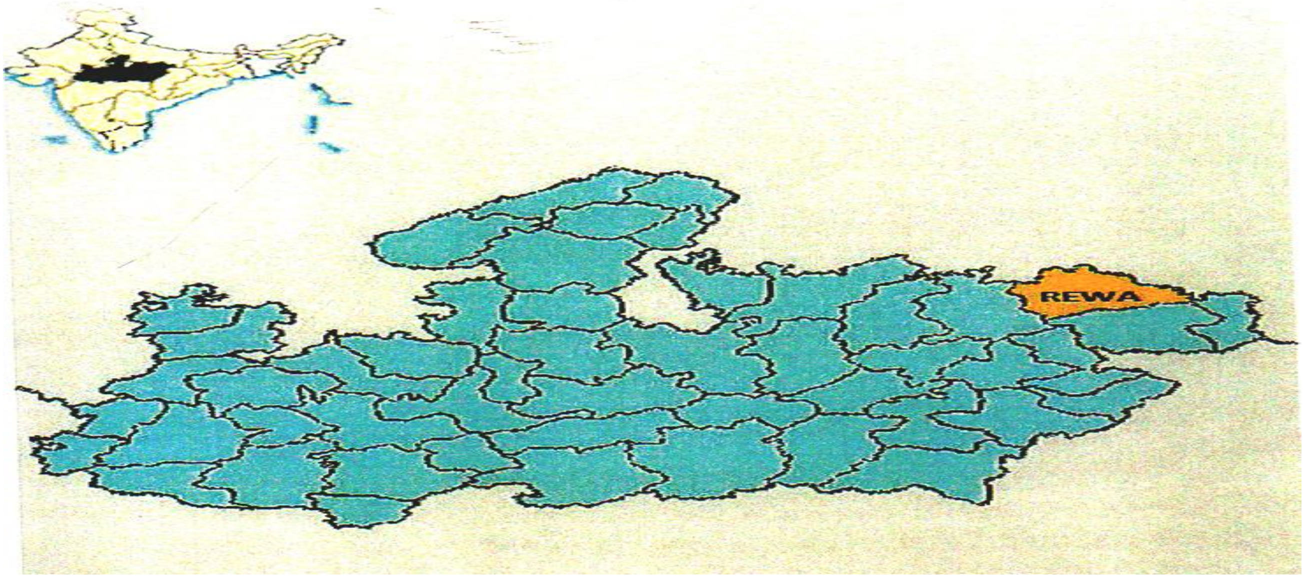

रीवा नगर रीवा जिले और सम्पूर्ण बघेलखण्ड का एक प्रमुख नगर है भारत के मध्य में स्थिति रीवा जिला स्वतंत्रता पूर्व रीवा रियासत का मुख्य भाग था जहां राज्य की राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद नवगठित विन्ध्य प्रदेश मे भी इस जिले की यही स्थिति रही है। 1 नवम्बर 1956 से मध्यप्रदेश का संभागीय मुख्यालय है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रीवा जिला 23.11 से 24.18 डिग्री

उत्तरी अक्षांश एवं 81.03 से 82.10 डिग्री पूर्वी देशान्तर में स्थिति है। रीवा जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी कोने मे स्थिति है । इसके उत्तर मे बांदा और इलाहाबाद जिले पूर्व और तथा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला दक्षिण में मध्य प्रदेश का सीधी जिला और दक्षिण पश्चिम भाग मे सतना जिला है यह विन्ध्य पठार का हिस्सा है। जिसका कुल क्षेत्र 6287.5 वर्ग किमी है।

परिकल्पना (Hypothesis):–

- रीवा मे प्रचलित संस्कृति को प्रतिस्थापित करने मे सहायता प्राप्त होगी ।
- रीवा के नागरिको को सरकारी व निजी कार्यो के जानकारी प्राप्त करने मे सहायता होगी ।
- रीवा सार्वजनिक प्राधिकारियो के कार्यो मे परदर्शिता को बढावा देना ।

अध्ययन का उदेश्य (Aims of study):–

- रीवा मे भ्रष्टाचार को रोकना तथा नागरिको को शसक्त बनाना ।
- रीवा में नागरिकों और सरकार के बीच के अर्न्तसम्बन्ध स्थापित करना
- रीवा में कियान्वित सुशासन तथा सत्तारूढ़ कार्यो में संकेन्द्रण प्राप्त होगी।

अध्ययन की पद्धति (Methdology):– समंकों के संकलन से तात्पर्य विभिन्न स्रोतों से समंकों को एकत्रित किये जाने से है। समंक सांख्यिकीय अनुसंधान की आधारशिला है। समंकों के समुचित स्रोतो के संकलन से श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य सम्भव होता है। शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पहले समंको का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से किया गया हैं। तत्पष्चात उसका विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण :–(Data interpretation):–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार के साथ संसद द्वारा जून 2005 में पारित किया गया था तथा यह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। अधिनियम 2005 ने प्रत्येक नागरिक के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन प्रणाली स्थापित करने के उद्‌देश्य से सूचना की स्वतंत्रता अधिकार 2005 को स्थापित किया। भारतीय संविधान के अनु0 19 के अनुरूप जवाबदेही एवं पारदर्शिता

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

विकसित तथा सुनिश्चित करने का एक संवैधानिक तंत्र है। सूचना का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है। रीवा का प्रत्येक नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त कर सकता है। रीवा के सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी भी मुद्दे पर सूचना प्राप्त करने के सूचना के अधिकार कार्यालय में प्राधिकारी के पास आवेदन करना आवश्यक है। सरकारी गोपनीयता अधि0 1923 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अधिनियम ने त्रिस्तरीय संरचना को स्थापित किया है। रीवा में सूचना के अधिकार त्रिस्तरीय संरचना इस प्रकार हैं 1.लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी और केन्द्रीय सूचना आयोग। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30 दिनों के भीतर सूचना न मिलने की स्थिति में सूचना की मांग करने वाला व्यक्ति रीवा के उच्च सूचनाधिकारी को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी को 30 दिनों या विशेष स्थितियों में 45 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त को अपील कर सकता है। रीवा में सत्र 2018 में 269 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 259 आवेदनों का निस्तारण हुआ तथा 10 आवेदन का निस्तारण शेष रह गये।

सूचना के अधिकार की समस्याएं एवं समाधान :– हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार रीवा में केवल 38 प्रतिशत लोगों ने सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में सुना है। सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी प्रगतिशील और सशक्त समाज के लिए पर्याप्त नहीं है। रीवा के आंकड़े बताते है कि लगभग 45 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को पदभार मिलने के समय प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मामलों का लम्बित होना दर्शाता है कि सरकार के प्रति लापरवाह नजरिया रखती है। सूचना आयोग को चलाने के लिए आवश्यक ढांचे और कर्मचारियों की कमी है। विधेयक केन्द्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा के नियम व शर्तों को बदलने का अधिकार केन्द्र सरकार को देता है।

यह स्पष्ट रूप से बताता है कि अब से कार्यालय का कार्यालय और केन्द्र और राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

उपसंहारः– आर0टी0आई0 अधि0 2005 को सामाजिक न्याय पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था। परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

आर0टी0आई0 तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलकर आर0टी0आई0 अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना है। जिससे प्रसाशन में भृष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। कई और सामाजिक कार्यताओं ने सरकार के इस कदम की काफी आलोचना की थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के संसोधन से रीवा में सूचना अधिकारी के वेतन एवं भत्ते सेवा की अन्य शर्तो के निर्धारण संबंधी शक्तियों के अधिग्रहण में नकेल कसेगा। इन पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में ज्यादा रूचि लेंगे तथा रीवा के आम नागरिकों के हित में कार्य होने लगेगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः—

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2018
2. संभागीय योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय रीवा।
3. शुक्ला डॉ अखिलेश रीवा दर्शन, प्रकाशक गायत्री पब्लिकेशन रीवा।
4. रीवा जिला गजेटियर संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश।